रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 28 जनवरी, 2017 ई० (माघ 8, 1938 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

### खण्ड-घ–जिला पंचायत

22 दिसम्बर, 2016 ई०

सं0 742/21ए-07/2016-17–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, लखीमपुर खीरी में ग्रामीण क्षेत्रों में आटा, चावल, तेल, लकड़ी, दाल, राब, गुड़ तथा शक्कर आदि से सम्बन्धित मिलों के विनिमय हेतु उपविधियां बनायी गयी थी। जिस पर राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 3782/21-एम-16(75-76)-10 एल0एस0जी0-1, दिनांक 22 अप्रैल, 1976 में हो चुका था। इस उपविधियों में जिला पंचायत द्वारा उपविधि की धारा 17 के अनुसार उपविधि की धारा 16 में वर्णित व्यवसायियों के लाइसेंस शुल्क में संशोधन/संवर्धन किया जाता है। जिसकी पुष्टि उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कर दी है, ये उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायेगी–

संशोधन

| 0 | व्यवसाय का नाम | वर्तमान दरें | व्यवसाय का नाम | संशोधित दरें |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | रु0 | | रु0 |
| | आटा चक्की | 250.00 | आटा चक्की | 310.00 |
| | तेल पेरने की मशीन | 350.00 | तेल पेरने की मशीन | 440.00 |
| | धान कूटने की मशीन | 350.00 | धान कूटने की मशीन | 440.00 |
| | दाल दलने की मशीन | 250.00 | दाल दलने की मशीन | 310.00 |
| | रुई मशीन | 300.00 | रुई मशीन | 375.00 |
| | शीशे का सामान बनाना | 300.00 | शीशे का सामान बनाना | 375.00 |

4 हि०गा०-7A



अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-खीरी

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | रु0 | | रु0 |
| 7 | साबुन कारखाना | 600.00 | साबुन कारखाना | 750.00 |
| 8 | आरा मशीन | 1,500.00 | आरा मशीन | 1,875.00 |
| 9 | पावर कोल्हू | 1,500.00 | पावर कोल्हू | 1,875.00 |
| 10 | चीनी मिल | 50,000.00 | चीनी मिल | हाईकोर्ट लखनऊ में वाद विचारा |
| 11 | राइस मिल | 8,000.00 | राइस मिल | 9,000.00 |
| 12 | पालेसर | 1,200.00 | पालेसर | 1,500.00 |
| 13 | दाल मिल | 5,000.00 | दाल मिल | 6,250.00 |
| 14 | तेल मिल | 4,000.00 | तेल मिल | 5,000.00 |
| 15 | फ्लोर मिल (आटा मिल) | 10,000.00 | फ्लोर मिल (आटा मिल) | 12,500.00 |
| 16 | सालवेन्ट प्लान्ट | 10,000.00 | सालवेन्ट प्लान्ट | 12,500.00 |

सं0 746/21ए-10/2016-17–जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कम्पनियों/संस्थाओं द्वा लगाये गये मोबाइल फोन टावरों एवं अन्य व्यावसायिक टावरों को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से जि पंचायत, लखीमपुर, खीरी द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961, यथा संशोधित 1994 धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपविधि बनाई गयी जिसकी पुष्टि उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने प्रदत्त अधिकारों अन्तर्गत कर दी है, ये उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायेगी।

## उपविधियां

1–यह उपविधि "मोबाइल टावरों एवं अन्य व्यावसायिक टावरों आदि के संचालन एवं नियन्त्रण की उपविधि कहलायेगी।

2–यह उपविधि जिला पंचायत, लखीमपुर खीरी के समस्त ग्रामीणांचलों की वर्तमान में स्थापित तथा भविष्य लगने वाले टावरों को विनियमित एवं नियन्त्रित करेगी।

3–यह उपविधि आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ से स्वीकृत होने के पश्चात् सरकारी गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

4–**परिभाषायें**–

(4.1) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधि 1994 की धारा 2 (10) में यथा परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है;

(4.2) "टावरों" का अर्थ टावर से है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से हो रहा है या होगा।

5–कोई भी व्यक्ति/प्रतिष्ठान का मालिक या साझेदार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में टावर तब तक नहीं ल सकेगा या पूर्व में स्थापित टावर का संचालन तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि उसने निर्धारित शुल्क पंचायत में जमा करके लाइसेन्स/अनुज्ञा न प्राप्त कर ली हो।

6–किसी भी व्यक्ति/प्रतिष्ठान के मालिक या साझेदार को इस आधार पर छूट नहीं प्रदान की जाये उसने अन्य किसी निकाय अथवा संस्था या सरकारी विभाग से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसे प्रत्येक दशा में निर्धारित शुल्क जमा करके जिला पंचायत से लाइसेन्स/अनुज्ञा अनिवार्य है।

7–इस उपविधि के अधीन लाइसेन्स पाने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान के मालिक या साझेदार के लिए आवश्यक होगा कि टावर के पास रहने वाले व्यक्तियों/पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलि शर्तों का पालन करना होगा–

(क) टावर पड़ोस की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई से आठ मीटर से कम ऊंचाई का नहीं होगा।

44 हिन्दी-7B

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-खीरी

Scanned with OKEN Scanner

(ख) साधारण शोरगुल रोकने के लिये टावर के हाते में शोरगुल रोकने वाले यन्त्र (साइलेन्सर) लगाने गे। यदि विद्युत जनरेटर का प्रयोग किया जाता है तो वह साइलेण्ट प्रकृति का होगा तथा भूतल पर ही लगाया जायेगा।

(ग) टावर की देख-रेख हेतु लगाये गये श्रमिक/कर्मचारी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(घ) टावर हेतु आवश्यक भवन/भूखण्ड आदि की फर्श की नालियां पक्की होनी चाहिये तथा उनकी आवश्यकतानुसार मरम्मत रहनी चाहिये। प्रयोग किये हुये पानी को बाहर निकालने के लिये ऐसी नालियों की व्यवस्था होनी चाहिये जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपेक्षित हो।

(ङ) लाइसेन्स अधिकारियों की सन्तुष्टि के अनुसार टावर का अहाता सभी समय स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और सन्तोषजनक अवस्था में रखना होगा।

(च) ऐसे व्यक्ति को टावर में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो।

(छ) शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा या स्वच्छता की दृष्टि से अपनायी जाने हेतु बनायी गयी नीतियों से सम्बन्धित शासनादेश स्वतः लागू समझे जायेंगे।

(ज) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिये।

(झ) जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एंयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ञ) सेवा आपरेटर कम्पनी और भवन/भूखण्ड स्वामी का संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन/भूखण्ड स्वामी का होगा।

(प) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों, कम्पन आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियन्त्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

8–अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी लाइसेन्सिग अधिकारी होगा।

9–उपविधि में वर्णित दण्ड के अतिरिक्त किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर लइसेन्स अधिकारी को लाइसेन्स रद्द अथवा निलम्बित करने का अधिकार होगा।

10–लाइसेन्स अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध कोई ऐसे निर्णय के दिनांक से 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत के यहां अपील कर सकेगा और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष सुनवाई करके अपना लिखित फैसला देगा, जो अन्तिम होगा और दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

11–लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष की होगी जो 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समत होगी।

12–प्रत्येक टावर के मालिक/संस्था या साझेदार को रु० 10,000 (दस हजार रुपये मात्र) प्रति वर्ष टावर लासेन्स शुल्क के रूप में जमा करना होगा। इस शुल्क दर में प्रत्येक तीन वर्ष पर 25% वृद्धि की जायेगी। लाइसेन्स शुल्क जमा होने के पश्चात् ही लाइसेन्स/अनुज्ञा-पत्र जारी होगा।

13–केन्द्र अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विधि विहित संस्था के नियन्त्रण हेतु लाइसेन्स यदि कोई हो, से जिला पंचायत द्वारा जारी लाइसेन्स भिन्न होगा।

14–इस उपविधि के अन्तर्गत बनने वाले लाइसेन्स का [illegible]करण 30 अप्रैल तक प्रति वर्ष आगामी वर्ष के लि कराना होगा, जिसमें उपविधि की धारा 12 के अनुसार [illegible]। 30 अप्रैल पश्चात् रु० 100 प्रतिमाह की दर से विल[illegible]

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-[illegible]

15–जिला पंचायत इस उपविधि में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

16–16 मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन/भूखण्ड के स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति, यदि कोई हो का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

## दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961, यथा संशोधित 1994 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, लखीमपुर खीरी निर्देश देती है कि उपर्युक्त उपविधियों या उसके किसी अंश का उल्लंघन करने पर दोषारोपी को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000 (एक हजार रुपये मात्र) तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के बाद प्रत्येक ऐसे दिवस के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50 (पचास रुपये मात्र) प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड दिया जा सकता है। अर्थदण्ड न जमा होने पर तीन माह के कारावास का दण्ड भी दिया जा सकता है।

सं0 747/21ए-09/2016-17–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, खीरी ने अपने नियंत्रणाधीन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शिनियों को नियन्त्रित व विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियां बनायी है। जिनका प्रकाशन उत्तर प्रदेश के राजपत्र में विज्ञप्ति संख्या 2782/21-ए-8(95-96), दिनांक 14 सितम्बर, 1996 के पृ0सं0 1390 पर हुआ है। उपविधि भाग-2 के प्रस्तर-14 में दी हुई लाइसेंस शुल्क में संशोधन/संवर्धन किया जाता है जिसकी पुष्टि उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कर दी है, ये उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायेगी–

## संशोधन

| क्र0 सं0 | व्यवसाय का नाम | वर्तमान लाइसेंस | संशोधित लाइसेंस |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | | रु0 | रु0 |
| 1 | वर्ष में एक बार 1 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क। | 7,000.00 | 8,750.00 |
| 2 | वर्ष में एक बार 15 दिनों से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क। | 15,000.00 | 18,750.00 |
| 3 | वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिये लगातार लगने वाले पशु मेले का लाइसेंस शुल्क। | 20,000.00 | 25,000.00 |
| 4 | सप्ताह में एक बार लगने वाली पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क। | 3,000.00 | 3,750.00 |
| 5 | सप्ताह में दो या दो से अधिक बार लगने वाली पशुबाजार, पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क। | 5,500.00 | 6,875.00 |
| 6 | वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार लगने वाली पशु प्रदर्शनी का ला0 शु0। | 4,000.00 | 5,000.00 |
| 7 | वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाली प्रदर्शनी का लाइसेंस शुल्क | 6,000.00 | 7,500.00 |

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत–खीरी

सं0 748/21ए-08/2016-17–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, लखीमपुर खीरी के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ, पुस्तकें व लेखन सामग्री आदि लाइसेंस शुल्क को नियंत्रित एवं विनिमय करने के लिये उपविधियां बनी हैं। जिसका प्रकाश उ0प्र0 के राजपत्रित विज्ञप्ति संख्या 3015/21-ए-8(73-74) एल0एस0जी0-152, दिनांक 03 अप्रैल, 1976 में हुआ है। उपविधि की धारा 16 में वर्णित व्यवसायियों के लाइसेंस शुल्क में संशोधन/संवर्धन किया जाता है। जिसकी पुष्टि उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कर दी है, ये उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायेंगी–

## संशोधन

| प्रभावी धारायें धारा-16 | | | संशोधित धारायें धारा-16 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | व्यवसाय का नाम | दरें | क्र0 सं0 | व्यवसाय का नाम | दरें |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | रु0 | | | रु0 |
| 1 | गल्ले के थोक व्यापारी एवं आढ़ती | 600.00 | 1 | गल्ले के थोक व्यापारी एवं आढ़ती | 750.00 |
| 2 | गल्ले के फुटकर व्यापारी | 250.00 | 2 | गल्ले के फुटकर व्यापारी | 310.00 |
| 3 | कपड़े के थोक व्यापारी | 300.00 | 3 | कपड़े के थोक व्यापारी | 375.00 |
| 4 | कपड़े के फुटकर व्यापारी | 200.00 | 4 | कपड़े के फुटकर व्यापारी | 250.00 |
| 5 | रेडीमेड कपड़े की दुकान | 250.00 | 5 | रेडीमेड कपड़े की दुकान | 310.00 |
| 6 | मिष्ठान भण्डार | 250.00 | 6 | मिष्ठान भण्डार | 310.00 |
| 7 | होटल (निवास वाले) | 1,000.00 | 7 | होटल (निवास वाले) | 1,250.00 |
| 8 | ढाबा | 250.00 | 8 | ढाबा | 310.00 |
| 9 | बार एवं रेस्टोरेन्ट | 2,000.00 | 9 | बार एवं रेस्टोरेन्ट | 2,500.00 |
| 10 | रेस्टोरेन्ट | 1,000.00 | 10 | रेस्टोरेन्ट | 1,250.00 |
| 11 | जूस/कोल्ड ड्रिंक कार्नर | 200.00 | 11 | जूस/कोल्ड ड्रिंक कार्नर | 250.00 |
| 12 | चाय की दुकान | 200.00 | 12 | चाय की दुकान | 250.00 |
| 13 | टिम्बर मर्चेन्ट | 500.00 | 13 | टिम्बर मर्चेन्ट | 625.00 |
| 14 | लकड़ी फर्नीचर की दुकान | 250.00 | 14 | लकड़ी फर्नीचर की दुकान | 310.00 |
| 15 | लोहे के फर्नीचर (ग्रील निर्माता) व्यापारी | 500.00 | 15 | लोहे के फर्नीचर (ग्रील निर्माता) व्यापारी | 625.00 |
| 16 | ट्राली निर्माता | 1,000.00 | 16 | ट्राली निर्माता | 1,250.00 |
| 17 | ट्राली रिपेयरिंग वर्क्स | 500.00 | 17 | ट्राली रिपेयरिंग वर्क्स | 625.00 |
| 18 | बर्तन के थोक व्यापारी | 250.00 | 18 | बर्तन के थोक व्यापारी | 310.00 |
| 19 | बर्तन के फुटकर व्यापारी | 200.00 | 19 | बर्तन के फुटकर व्यापारी | 250.00 |
| 20 | ज्वैलर्स/सोने चांदी की दुकान | 500.00 | 20 | ज्वैलर्स/सोने चांदी की दुकान | 625.00 |
| 21 | मरम्मत आभूषण | 250.00 | 21 | मरम्मत आभूषण | 310.00 |
| 22 | साइकिल विक्रेता | 250.00 | 22 | साइकिल विक्रेता | 310.00 |

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-खीरी

Scanned with OKEN Scanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रु0 | | | रु0 |
| 23 | साइकिल रिपेयर वर्क्स/पार्टस | 100.00 | 23 | साइकिल रिपेयर वर्क्स/पार्टस | 125.00 |
| 24 | कृषि यंत्र उपकरण विक्रेता | 500.00 | 24 | कृषि यंत्र उपकरण विक्रेता | 625.00 |
| 25 | कृषि मशीनरी स्टोर | 500.00 | 25 | कृषि मशीनरी स्टोर | 625.00 |
| 26 | पम्पिंग सेट विक्रेता | 500.00 | 26 | पम्पिंग सेट विक्रेता | 625.00 |
| 27 | पम्पिंग सेटों की मरम्मत की दुकान | 200.00 | 27 | पम्पिंग सेटों की मरम्मत की दुकान | 250.00 |
| 28 | साउन्ड सर्विस | 200.00 | 28 | साउन्ड सर्विस | 250.00 |
| 29 | म्यूजिक सेन्टर/कैसेट विक्रेता | 200.00 | 29 | म्यूजिक सेन्टर/कैसेट विक्रेता | 250.00 |
| 30 | मोबाइल विक्रेता | 200.00 | 30 | मोबाइल विक्रेता | 250.00 |
| 31 | मोबाइल मरम्मत कर्ता | 100.00 | 31 | मोबाइल मरम्मत कर्ता | 125.00 |
| 32 | पेट्रोल एवं डीजल पम्प | 5,000.00 | 32 | पेट्रोल एवं डीजल पम्प | 6,250.00 |
| 33 | डीजल पम्प | 3,000.00 | 33 | डीजल पम्प | 3,750.00 |
| 34 | पेटीडीलर व्यवसायी | 500.00 | 34 | पेटीडीलर व्यवसायी | 625.00 |
| 35 | केरासिन आयल डिपो | 500.00 | 35 | केरासिन आयल डिपो | 625.00 |
| 36 | बर्फ फैक्ट्री | 2,000.00 | 36 | बर्फ फैक्ट्री | 2,500.00 |
| 37 | आइस कैण्डी निर्माता | 500.00 | 37 | आइस कैण्डी निर्माता | 625.00 |
| 38 | परचून के थोक विक्रेता | 300.00 | 38 | परचून के थोक विक्रेता | 375.00 |
| 39 | परचून के फुटकर विक्रेता | 150.00 | 39 | परचून के फुटकर विक्रेता | 190.00 |
| 40 | स्टेशनरी की दुकान | 200.00 | 40 | स्टेशनरी की दुकान | 250.00 |
| 41 | फुटवीयर व्यवसाय थोक (जूता/चप्पल) | 300.00 | 41 | फुटवीयर व्यवसाय थोक (जूता/चप्पल) | 375.00 |
| 42 | फुटवीयर व्यवसाय फुटकर व्यापारी (जूता/चप्पल) | 150.00 | 42 | फुटवीयर व्यवसाय फुटकर व्यापारी (जूता/चप्पल) | 190.00 |
| 43 | जनरल मर्चेन्ट की दुकान | 200.00 | 43 | जनरल मर्चेन्ट की दुकान | 250.00 |
| 44 | ट्रैक्टर एजेन्सी | 2,000.00 | 44 | ट्रैक्टर एजेन्सी | 2,500.00 |
| 45 | ट्रैक्टर मरम्मतकर्ता | 300.00 | 45 | ट्रैक्टर मरम्मतकर्ता | 375.00 |
| 46 | आटोमोबाइल एजेन्सीज (चौपहिया) | 2,000.00 | 46 | आटोमोबाइल एजेन्सीज (चौपहिया) | 2,500.00 |
| 47 | दुपहिया वाहन एजेन्सी/डीलर | 2,000.00 | 47 | दुपहिया वाहन एजेन्सी/डीलर | 2,500.00 |
| 48 | बेकरी हाउस | 500.00 | 48 | बेकरी हाउस | 625.00 |
| 49 | सब्जी आढ़त/फल आढ़त | 500.00 | 49 | सब्जी आढ़त/फल आढ़त | 625.00 |
| 50 | इलेक्ट्रानिक उपकरण की दुकान | 500.00 | 50 | इलेक्ट्रानिक उपकरण की दुकान | 625.00 |
| 51 | खाद/उर्वरक के थोक विक्रेता | 300.00 | 51 | खाद/उर्वरक के थोक विक्रेता | 375.00 |
| 52 | उर्वरक के फुटकर विक्रेता | 200.00 | 52 | उर्वरक के फुटकर विक्रेता | 250.00 |
| 53 | बीज/कीटनाशक दवा विक्रेता | 200.00 | 53 | बीज/कीटनाशक दवा विक्रेता | 250.00 |
| 54 | बक्सा निर्माण एवं विक्रेता | 200.00 | 54 | बक्सा निर्माण एवं विक्रेता | 250.00 |

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-खीरी

Scanned with OKEN Scanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रु0 | | | रु0 |
| 55 | स्टील अलमारी वर्कशाप | 500.00 | 55 | स्टील अलमारी वर्कशाप | 625.00 |
| 56 | सरिया / एंगल के विक्रेता | 500.00 | 56 | सरिया / एंगल के विक्रेता | 625.00 |
| 57 | सीमेन्ट विक्रेता | 500.00 | 57 | सीमेन्ट विक्रेता | 625.00 |
| 58 | भवन निर्माण सामग्री की दुकान | 500.00 | 58 | भवन निर्माण सामग्री की दुकान | 625.00 |
| 59 | शटरिंग व्यवसाय (बांस, बल्ली किराये हेतु) | 500.00 | 59 | शटरिंग व्यवसाय (बांस, बल्ली किराये हेतु) | 625.00 |
| 60 | टेन्ट हाउस / कैटर्स | 500.00 | 60 | टेन्ट हाउस / कैटर्स | 625.00 |
| 61 | टेन्ट हाउस | 400.00 | 61 | टेन्ट हाउस | 500.00 |
| 62 | लाइट हाउस | 200.00 | 62 | लाइट हाउस | 250.00 |
| 63 | फोटो स्टेट की दुकान | 300.00 | 63 | फोटो स्टेट की दुकान | 375.00 |
| 64 | पी0सी0ओ0 / साइबर कैफे | 200.00 | 64 | पी0सी0ओ0 / साइबर कैफे | 250.00 |
| 65 | प्रिंटिंग प्रेस (ट्रेडिल) | 500.00 | 65 | प्रिंटिंग प्रेस (ट्रेडिल) | 625.00 |
| 66 | आफसेट प्रिंटिंग प्रेस | 1,000.00 | 66 | आफसेट प्रिंटिंग प्रेस | 1,250.00 |
| 67 | धर्मकांटा / चीनी मिल कांटा | 1,000.00 | 67 | धर्मकांटा / चीनी मिल कांटा | 1,250.00 |
| 68 | प्लास्टिक फर्नीचर की दुकान | 500.00 | 68 | प्लास्टिक फर्नीचर की दुकान | 625.00 |
| 69 | कोल डिपो | 1,000.00 | 69 | कोल डिपो | 1,250.00 |
| 70 | सिनेमा हाल | 2,000.00 | 70 | सिनेमा हाल | 2,500.00 |
| 71 | टूरिंग टाकिज | 1,000.00 | 71 | टूरिंग टाकिज | 1,250.00 |
| 72 | मेथा प्लान्ट | 500.00 | 72 | मेथा प्लान्ट | 625.00 |
| 73 | फोटो स्टूडियो | 200.00 | 73 | फोटो स्टूडियो | 250.00 |
| 74 | स्क्रैप विक्रेता (कबाड़ी थोक) | 1,000.00 | 74 | स्क्रैप विक्रेता (कबाड़ी थोक) | 1,250.00 |
| 75 | स्क्रैप विक्रेता फुटकर | 500.00 | 75 | स्क्रैप विक्रेता फुटकर | 625.00 |
| 76 | ह्यूम पाइप फैक्ट्री | 3,000.00 | 76 | ह्यूम पाइप फैक्ट्री | 3,750.00 |
| 77 | पी0बी0सी0 पाइप फैक्ट्री | 2,000.00 | 77 | पी0बी0सी0 पाइप फैक्ट्री | 2,500.00 |
| 78 | बैट्री केश निर्माता | 2,000.00 | 78 | बैट्री केश निर्माता | 2,500.00 |
| 79 | बैट्री निर्माता | 1,000.00 | 79 | बैट्री निर्माता | 1,250.00 |
| 80 | कोल्ड स्टोर | 5,000.00 | 80 | कोल्ड स्टोर | 6,250.00 |
| 81 | कोल्ड स्टोर एवं बर्फ की फैक्ट्री | 6,000.00 | 81 | कोल्ड स्टोर एवं बर्फ की फैक्ट्री | 7,500.00 |
| 82 | केमिकल फैक्ट्री | 2,000.00 | 82 | केमिकल फैक्ट्री | 2,500.00 |
| 83 | पौध नर्सरी | 500.00 | 83 | पौध नर्सरी | 625.00 |
| 84 | गैस रिफलिंग प्लान्ट | 10,000.00 | 84 | गैस रिफलिंग प्लान्ट | 12,500.00 |
| 85 | गैस एजेन्सी | 1,000.00 | 85 | गैस एजेन्सी | 1,250.00 |
| 86 | दुध डेरी | 2,000.00 | 86 | दुध डेरी | 2500.00 |

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-खीरी

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रु0 | | | रु0 |
| 87 | पेपर मिल | 5,000.00 | 87 | पेपर मिल | 6,250.00 |
| 88 | दफ्ती फैक्ट्री | 3,000.00 | 88 | दफ्ती फैक्ट्री | 3,750.00 |
| 89 | पालीथीन निर्माता | 2,000.00 | 89 | पालीथीन निर्माता | 2,500.00 |
| 90 | ग्लास हाउस | 500.00 | 90 | ग्लास हाउस | 625.00 |
| 91 | क्राकरी की दुकान | 200.00 | 91 | क्राकरी की दुकान | 250.00 |
| 92 | हार्डवेयर/पेन्ट स्टोर | 300.00 | 92 | हार्डवेयर/पेन्ट स्टोर | 375.00 |
| 93 | बेकरी फैक्ट्री | 500.00 | 93 | बेकरी फैक्ट्री | 625.00 |
| 94 | इण्टरलाकिंग ब्रिक/टाइल्स निर्माता | 5,000.00 | 94 | इण्टरलाकिंग ब्रिक/टाइल्स निर्माता | 6,250.00 |
| 95 | मार्बल एवं टाइल्स विक्रेता | 500.00 | 95 | मार्बल एवं टाइल्स विक्रेता | 625.00 |
| 96 | थरमाकोल सीट बनाने का कारखाना | 3,000.00 | 96 | थरमाकोल सीट बनाने का कारखाना | 3,750.00 |
| 97 | प्लाई वुड फैक्ट्री | 5,000.00 | 97 | प्लाई वुड फैक्ट्री | 6,250.00 |
| 98 | विनियर मिल | 4,000.00 | 98 | विनियर मिल | 5,000.00 |
| 99 | मैरिज हाल | 3,000.00 | 99 | मैरिज हाल | 3,750.00 |
| 100 | मोबाइल टावर | 10,000.00 | 100 | मोबाइल टावर | 12,500.00 |
| 101 | लैमिनेटेड बोर्ड निर्माता | 3,000.00 | 101 | लैमिनेटेड बोर्ड निर्माता | 3,750.00 |
| 102 | मेडिकल स्टोर | 300.00 | 102 | मेडिकल स्टोर | 375.00 |
| 103 | नर्सिंग होम | 1,000.00 | 103 | नर्सिंग होम | 1,250.00 |
| 104 | क्लीनिक (मेडिकल प्रैक्टिसनर) | 500.00 | 104 | क्लीनिक (मेडिकल प्रैक्टिसनर) | 625.00 |
| 105 | खाद्य सामग्री के थोक विक्रेता | 500.00 | 105 | खाद्य सामग्री के थोक विक्रेता | 625.00 |
| 106 | चूड़ी विक्रेता/श्रंगार सामग्री (विसातखाना) | 200.00 | 106 | चूड़ी विक्रेता/श्रंगार सामग्री (विसातखाना) | 250.00 |
| 107 | खराद मशीन | 750.00 | 107 | खराद मशीन | 940.00 |
| 108 | स्पेयर पार्टस | 200.00 | 108 | स्पेयर पार्टस | 250.00 |
| 109 | आटो वर्क्सशाप | 300.00 | 109 | आटो वर्क्सशाप | 375.00 |
| 110 | आयुर्वेदिक/एलोपैथिक दवाखाना | 300.00 | 110 | आयुर्वेदिक/एलोपैथिक दवाखाना | 375.00 |
| 111 | बोरिंग/नल पाइप विक्रेता | 500.00 | 111 | बोरिंग/नल पाइप विक्रेता | 625.00 |
| 112 | थोक अण्डा विक्रेता | 200.00 | 112 | थोक अण्डा विक्रेता | 250.00 |
| 113 | गैस बिल्डर | 200.00 | 113 | गैस बिल्डर | 250.00 |
| 114 | मिनरल वाटर प्लान्ट | 3,000.00 | 114 | मिनरल वाटर प्लान्ट | 3,750.00 |
| 115 | रस्सी बांध विक्रेता | 200.00 | 115 | रस्सी बांध विक्रेता | 250.00 |

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-खीरी

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रु० | | | रु० |
| 116 | प्लास्टिक से निर्मित सामान विक्रेता | 200.00 | 116 | प्लास्टिक से निर्मित सामान विक्रेता | 250.00 |
| 117 | किसान बाजार/कृषि केन्द्र | 5,000.00 | 117 | किसान बाजार/कृषि केन्द्र | 6,250.00 |
| 118 | सर्विस स्टेशन (आटोमोबाइल) | 300.00 | 118 | सर्विस स्टेशन (आटोमोबाइल) | 375.00 |
| 119 | अंग्रेजी शराब की दुकान | 2,000.00 | 119 | अंग्रेजी शराब की दुकान | 2,500.00 |
| 120 | देशी शराब की दुकान | 1,500.00 | 120 | देशी शराब की दुकान | 1,875.00 |
| 121 | बीयर शाप | 1,000.00 | 121 | बीयर शाप | 1,250.00 |
| 122 | भांग की दुकान | 500.00 | 122 | भांग की दुकान | 625.00 |
| 123 | घड़ी की दुकान | 200.00 | 123 | घड़ी की दुकान | 250.00 |
| 124 | घड़ी मरम्मत की दुकान | 100.00 | 124 | घड़ी मरम्मत की दुकान | 125.00 |
| 125 | दरी/कम्बल/गद्दा विक्रेता | 250.00 | 125 | दरी/कम्बल/गद्दा विक्रेता | 310.00 |
| 126 | आप्टिकल सेन्टर (चश्मे की दुकान) | 400.00 | 126 | आप्टिकल सेन्टर (चश्मे की दुकान) | 500.00 |
| 127 | टेलरिंग शाप (तीन मशीनों से अधिक) | 200.00 | 127 | टेलरिंग शाप (तीन मशीनों से अधिक) | 250.00 |
| 128 | रेडियों मरम्मत | 200.00 | 128 | रेडियों मरम्मत | 250.00 |
| 129 | सीमेन्ट की जाली बनाने का कारखाना | 500.00 | 129 | सीमेन्ट की जाली बनाने का कारखाना | 625.00 |
| 130 | हड्डी मिल | 7,000.00 | 130 | हड्डी मिल | 8,750.00 |
| 131 | मोमबत्ती बनाने का कारखाना | 1,000.00 | 131 | मोमबत्ती बनाने का कारखाना | 1,250.00 |
| 132 | धूपबत्ती/अगरबत्ती बनाने का कारखाना | 500.00 | 132 | धूपबत्ती/अगरबत्ती बनाने का कारखाना | 625.00 |
| 133 | स्टील/इस्पात कारखाना | 10,000.00 | 133 | स्टील/इस्पात कारखाना | 12,500.00 |
| 134 | दफ्ती के डिब्बे बनाने का कारखाना | 1,000.00 | 134 | दफ्ती के डिब्बे बनाने का कारखाना | 1,250.00 |
| 135 | ट्रान्सपोर्ट कम्पनी | 1,000.00 | 135 | ट्रान्सपोर्ट कम्पनी | 1,250.00 |
| 136 | कम्प्यूटर सेन्टर | 500.00 | 136 | कम्प्यूटर सेन्टर | 625.00 |
| 137 | दवा बनाने का कारखाना | 10,000.00 | 137 | दवा बनाने का कारखाना | 1,2500.00 |
| 138 | पोल्ट्री फार्म | 2,000.00 | 138 | पोल्ट्री फार्म | 2,500.00 |
| 139 | टायर विक्रेता (चार पहिया) | 1,000.00 | 139 | टायर विक्रेता (चार पहिया) | 1,250.00 |
| 140 | टायर विक्रेता (दो पहिया) | 500.00 | 140 | टायर विक्रेता (दो पहिया) | 625.00 |
| 141 | क्रीम मशीन | 500.00 | 141 | क्रीम मशीन | 675.00 |
| 142 | मॉडल शॉप (वाइन दुकान) | 3,000.00 | 142 | मॉडल शॉप (वाइन दुकान) | 3,750.00 |
| 143 | नमकीन कारखाना | 500.00 | 143 | नमकीन कारखाना | 625.00 |
| 144 | टायर रिटेनिंग | 1,000.00 | 144 | टायर रिटेनिंग | 1,250.00 |
| 145 | अन्य व्यवसाय | 1,000.00 | 145 | अन्य व्यवसाय | 1,250.00 |

**दण्ड**

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, अंकन रु० 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रुपये 50.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित किया जायेगा। जो 3 माह हो सकेगा।

**दण्ड**

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु० 1,500.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रुपये 75.00 प्रतिदिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित किया जायेगा। जो 3 मास हो सकेगा।

44 हि० रा० — 8A+B 5 घ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत—खीरी

Scanned with OKEN Scanner

सं0 749/21ए-11/2016-17–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधि 1994 की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचाय खीरी के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी, भट्ठा आदि को नियंत्रित करने के उद्देश्य आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की विज्ञप्ति संख्या 394-95/21-ए-6(92-93), दिनांक 20 अक्टूबर, 1993 द्वा स्वीकृत एवं दिनांक 01 जनवरी, 1994 द्वारा लागू है। उपविधि को नियम संशोधन/संवर्धन किया जाता है। जिस पुष्टि उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्ग कर दी है, ये उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायेगी–

**संशोधन**

| प्रभावी उपविधियां | संशोधित उपविधियां |
|---|---|
| **धारा-6** | **धारा-6** |
| अनुज्ञा-पत्र में आवेदन निर्धारित प्रारूप पत्र पर किया जायेगा जो निर्धारित शुल्क जमा कर जिला पंचायत, कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये भट्ठे हेतु रु0 100.00 प्रति आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिये रु0 50.00 प्रति आवेदन-पत्र होगा। | अनुज्ञा-पत्र में आवेदन निर्धारित प्रारूप पत्र प किया जायेगा जो निर्धारित शुल्क जमा कर जिल पंचायत, कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये भट्ठे हेतु रु0 200.00 प्रति आवेदन-पत्र तथ नवीनीकरण के लिये रु0 100.00 प्रति आवेदन-पत्र होगा। |
| **धारा-8** | **धारा-8** |
| (अ) चिमनी ईंट भट्ठा रु0 6,000.00 वार्षिक।<br>(ब) बिना चिमनी के ईंट भट्ठा अनुज्ञा शुल्क रु0 2,000.00 वार्षिक।<br>(स) टाइल्स/इण्टर लाकिंग ब्रिक्स निर्माण अनुज्ञा शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।<br>(द) चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।<br>(य) चूना या सुर्खी बैल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क रु0 2,000.00 वार्षिक। | (अ) चिमनी ईंट भट्ठा रु0 7,500.00 वार्षिक।<br>(ब) बिना चिमनी के ईंट भट्ठा अनुज्ञा शुल्क रु0 3,000.00 वार्षिक।<br>(स) टाइल्स/इण्टर लाकिंग ब्रिक्स निर्माण अनुज्ञा शुल्क रु0 8,000.00 वार्षिक।<br>(द) चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क रु0 8,000.00 वार्षिक।<br>(य) चूना या सुर्खी बैल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क रु0 3,000.00 वार्षिक। |
| **धारा-13** | **धारा-13** |
| 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर रु0 500.00 विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। 31 अक्टूबर के बाद रु0 100.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क की दर से अतिरिक्त देय होगा। इसके उपरान्त लाइसेंस न लेने पर भट्ठे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी। | 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर रु0 1000.00 विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। 31 अक्टूबर के बाद रु0 200.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क की दर से अतिरिक्त देय होगा। इसके उपरान्त लाइसेंस न लेने पर भट्ठे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी। |
| **दण्ड (धारा-15)** | **दण्ड (धारा-15)** |
| उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रुपये 50.00 प्रतिदिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित किया जायेगा। जो 3 माह तक हो सकेगा। | उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों क प्रयोग करते हुये जिला पंचायत यह निर्देश देती है वि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा व अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु0 2,000.00 तव होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरि अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो प्रथम दोष सिद्ध व पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में य सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा रुपये 100.00 प्रतिदिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा अथ अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास दण्डित किया जायेगा। जो 3 माह तक हो सकेगा। |

भुवनेश कुमार,
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

पी0एस0यू0पी0–44 हिन्दी गजट–भाग 3–2017 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-खीरी

Scanned with OKEN Scanner